उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या-35/2020/1817(1)/33-3-2020-33/2020

लखनऊः दिनांकः 24 जुलाई, 2020

शुद्धि-पत्र

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों को टाइड ग्राण्ट की धनराशि शासन के पत्र संख्या-1817/33-3-2020-33/2020 दिनांक 24.07.2020 द्वारा कतिपय निर्देशों के साथ रू. 2438.00 करोड़ अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश कतिपय सम्बन्धित अधिकारियों/ संस्थाओं को पृष्ठांकित नहीं किया गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन में निम्न सम्बन्धित अधिकारियों/संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगाः-

1. निदेशक, पंचायती राज (लेखा) उ0प्र0।
2. महालेखाकार प्रथम/आडिट, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता/वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन आदि।

शासनादेश की शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) उ0प्र0।
2. निदेशक, पंचायती राज (लेखा) उ0प्र0।
3. महालेखाकार प्रथम/आडिट, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।

8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

12. सम्बन्धित बैंक।

13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता/वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।